

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 2)

[29 दिसम्बर, 2006]

वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वर्णों में पोकियों से निवास कर रहे हैं, किंतु उनके अधिकारों को अधिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने;

वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अधिलिखित करने के लिए सरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों का ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपचार करने के लिए

अधिनियम

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, मान्यताप्राप्त अधिकारों में, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना और वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने समय वर्णों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सम्मिलित है,

और औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वर्णों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है;

और यह आवश्यक हो गया है कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की, जिसके अंतर्गत वे जनजातियां भी हैं, जिन्हें राज्य के विकास से उत्तन हस्तक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जाह बनाने के लिए मजबूर किया गया था, हाँ वे समय से चली आ रही भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वर्णों में पहुंच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए;

भारत गणराज्य के सत्रावन्वें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्ययन 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएँ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “सामुदायिक वन संसाधन” से ग्राम की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के भीतर रूढ़िगत सामान्य वनभूमि या चरागाही समुदायों की दशा में भू-परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्रों की भूमि है जैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान-जिन पर समुदायों की परंपरागत पहुंच थी;

(ख) “संकटपूर्ण वन्य जीव आवास” से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर, मामलेवार, विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनितिकात रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं जैसा कि केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक ऐसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श की खुली प्रक्रिया के पश्चात् अवधारित और अधिसूचित की जाए, जिसमें उस सरकार द्वारा नियुक्त उस परिक्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) से उद्भूत प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्षेत्रों का अवधारण करने में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा;

(ग) “वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी हैं;

(घ) “वन भूमि” से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं;

(ङ) “वन अधिकारी” से धारा 3 में निर्दिष्ट वन अधिकार अभिप्रेत है;

(च) “वन ग्राम” से-ऐसी बस्तियाँ अभिप्रेत हैं, जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वन संबंधी संक्रियाओं के लिए वनों के भीतर स्थापित की गई हैं या जो वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में संपरिवर्तित की गई हैं और जिनके अंतर्गत वन बस्ती ग्राम, नियत मांग धृति, ऐसे ग्रामों के लिए सभी प्रकार की वनकृषि बस्तियाँ भी हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुज्ञात कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि भी है;

(छ) “ग्राम सभा” से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है, जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में, जिनमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है, पाड़ा, दोला और ऐसी अन्य परम्परागत ग्राम संस्थाएँ और निर्वाचित ग्राम समितियाँ भी हैं जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिवार्यत भागीदारी है;

(ज) “आवास” के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है, जिसमें आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में परम्परागत आवास और ऐसे अन्य आवास सम्मिलित हैं;

(झ) “गौण वन उत्पाद” के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें बांस, झाड़ झांसाड़, दंठ, बैतू, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या कैंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियाँ, मूल, कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं;

(ञ) “नोडल अभिकरण” से धारा 11 में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है;

(ट) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) “अनुसूचित क्षेत्र” से संबिधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

2003 का 18

(द) “सतत उपयोग” का वही अर्थ होगा, जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ग) में है;

(ए) “अन्य परम्परागत वन निवासी” से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए “पीढ़ी” से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;

(ट) “ग्राम” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

1996 का 40

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई ग्राम; या

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र; या

(iii) वन ग्राम, पुरातन निवास या बस्तियाँ और असर्वेक्षित ग्राम, चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं; या

(iv) उन राज्यों की दशा में, जहां पंचायतें नहीं हैं, पारम्परिक ग्राम, चाहे वे किसी भी नाम से जात हों।

1972 का 53

(थ) “वन्य पशु” से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु की ऐसी प्रजातियाँ अभिप्रेत हैं, जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती हैं।

अध्याय 2

वन अधिकार

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वनभूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूद्वाति या दोनों को सुरक्षित करते हैं, अर्थात्—

(क) वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वतंत्र खेती, करने के लिए व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकार के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार;

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से जात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जर्मांदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हों;

(ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है;

(घ) यायावरी या चरागाही समुदायों की मत्त्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और धुमकड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार;

(ङ) वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भू-धृतियाँ भी हैं;

(च) किसी ऐसे राज्य में, जहां दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार;

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी टट्टैं या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार;

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार।

(ज) वनों के सभी बन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं;

(झ) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनर्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं;

(ञ) ऐसे अधिकार, जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद् या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद् की विधियों के अधीन भान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की संवर्धित जनजाति की किसी पारंपरिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ट) जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार;

(ठ) कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका, व्यास्थिति, वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रुढ़िगत रूप से उपयोग किया जा रहा है, जो खंड (क) से खंड (ट) में वर्णित हैं, किन्तु उनमें किसी प्रजाति के बन्य-जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने या उनके शरीर का क्रोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है;

(ड) यथावत् युनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकलिपक भूमि भी है जहाँ अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 के पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सरकार द्वारा 1980 का 69 व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अनधिक येड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात्—

(क) विद्यालय;

(ख) औषधालय या अस्पताल;

(ग) आंगनबाड़ी;

(घ) उचित कीमत की दुकानें;

(ङ) विद्युत और दूरसंचार लाइनें

(च) टंकियाँ और अन्य लघु जलाशय;

(छ) पेय जल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें;

(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं;

(झ) लघु सिंचाई नहरें;

(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत;

(ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;

(ठ) सड़कें; और

(ड) सामुदायिक केन्द्र:

परंतु वन भूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब—

(i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम है, और

(ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो।

अध्याय 3

वन अधिकारों की मान्यता, उनका पुनःस्थापन और निहित होना तथा संबंधित विषय

4. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विद्युत किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबच्चों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार,—

(क) ऐसे साज्जों या राज्यों के उन क्षेत्रों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के, जहाँ उन्हें धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत अन्य परंपरागत वन निवासियों के वनाधिकारों को,

मान्यता प्रदान करती है और उनमें निहित करती है।

(2) राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के संकट्यास्त बन्य जीव आवासों में इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त वन अधिकारों को, पश्चात्वर्ती रूप में उपान्तरित या पुनः स्थापित किया जा सकेगा, परंतु किसी भी वन अधिकार धारक को पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा या किसी भी नीति में उनके अधिकारों पर वन जीव संरक्षण के लिए अनतिक्रांत क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सभी शर्तों के पूरा करने की दशा में के सिवाय प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात्—

(क) विचाराधीन सभी क्षेत्रों में धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया पूरी हो;

(ख) राज्य सरकार के संबद्ध अधिकारणों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्थापित किया गया है कि अधिकारों के धारकों की उपस्थिति के बन्य पशुओं पर क्रियाकलाप या प्रभाव अपरिवर्तनीय नुकसान करने के लिए पर्याप्त हैं और उक्त प्रजाति के अस्तित्व और उनके निवास के लिए खतरा है;

(ग) राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि सहास्तित्व जैसे अन्य युक्तियुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) एक पुनर्व्यवस्थापन या अनुकल्पी पैकेज तैयार और संसूचित किया गया है जो प्रभावित व्याच्चियों और समुदायों के लिए सुनिश्चित जीविका का उपबंध करता है और ऐसे प्रभावित व्याच्चियों और समुदायों की केन्द्रीय सरकार की सुसंगत विधियों और नीति में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था करता है;

(ङ) प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन और पैकेज के लिए संबद्ध क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की स्वतंत्र सूचित सहमति लिखित में प्राप्त कर ली गई है;

(च) कोई पुनर्व्यवस्थापन तभी होगा जब पुनर्वास अवस्थान पर सुविधाएं और भूमि आबंटन वायदा किए गए पैकेज के अनुसार पूरी की गई हों;

परंतु संकट्यास्त बन्य जीव आवास, जिससे अधिकार धारकों को इस प्रकार वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए पुनःस्थापित किया जाता है, पश्चात्वर्ती रूप से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी एक द्वारा किसी अन्य उपयोगों के लिए अपवर्तित नहीं किया जाएगा।

(3) वन भूमि और उसके निवासियों की बाबत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को, इस अधिनियम के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि अधिभोग में ले ली थी।

(4) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार वंशांगत होगा किन्तु संक्रमणीय या अन्तरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में रजिस्ट्रीकूर्ट होगा तथा सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशांगत अधिकार अगले निकटम संबंधी को चला जाएगा।

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना।

(5) जैसा अन्यथा उपबचित है उसके सिवाय, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।

(6) जहां उपधारा (1) द्वारा मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकार धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में वर्णित भूमि के संबंध में हैं, वहां ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी व्याप्ति या कुटुम्ब या समुदाय के अधिभोगाधीन होगी और ऐसी भूमि वास्तविक अधिभोग के अधीन क्षेत्र तक निर्बन्धित होगी और किसी भी दशा में इसका क्षेत्र चार हेक्टेयर से अधिक का नहीं होगा।

(7) वन अधिकार, सभी विलांगमों और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त रूप में प्रदत्त किया जाएगा, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन अनापत्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि 1980 का 69 में अपयोजन के लिए "शुद्ध वर्तमान मूल्य" और प्रतिकरात्मक वन रोपण का संदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित है।

(8) इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकारों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि अधिकार सम्मिलित होंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि वे राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण भूमि प्रतिकर के बिना उनके निवास और खेती से विस्थापित किए गए थे और जहां भूमि का उपयोग उत्तर अवर्जन से पांच वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, जिसके लिए वह अर्जित की गई थी।

वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य।
5. किसी वन्य अधिकार के धारक, उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाएं निर्मितिके लिए सशक्त हैं,—

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि लगा हुआ जलागम क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित हैं जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गए विनिश्चयों का पालन किया जाता है।

अध्याय 4

वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों में वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया।
6. (1) ग्राम सभा को, ऐसे किसी व्याप्ति या सामुदायिक वन्य अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकार होगा जो इस अधिनियम के अधीन इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को, दावे स्वीकार करते हुए उनके समेकन और सत्यापन तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करते हुए, मानचित्र तैयार करके दिए जा सकेंगे और तब ग्राम सभा उस आशय का संकल्प पारित करेगी तथा उसके पश्चात् उसकी एक प्रति उपखंड स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी।

(2) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन गठित उपखंड स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और उपखंड स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी:

परन्तु प्रत्येक ऐसी याचिका ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर दी जाएगी:

परन्तु यह और कि ऐसी याचिका का, व्याधित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अपने मामले की प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(3) राज्य सरकार, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की परीक्षा करने के लिए एक उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी और वन अधिकारी को अभिलेख तैयार करेगी तथा इसे उपखंड अधिकारी के माध्यम से अंतिम विनिश्चय के लिए जिला स्तर की समिति को अप्रेषित करेगी।

(4) उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्याधित कोई व्यक्ति, उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और जिला स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी:

परन्तु ग्राम सभा के संकल्प के विरुद्ध कोई याचिका जिला स्तर की समिति के समक्ष सीधे तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह पहले उपखंड स्तर की समिति के समक्ष न दी गई हो और उसके द्वारा उस पर विचार न कर लिया गया हो :

परन्तु यह और कि याचिका का, व्याधित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(5) राज्य सरकार, उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारी के अभिलेख पर विचार करें और उनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए एक जिला स्तर की समिति का गठन करेंगी।

(6) वन अधिकारी के अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

(7) राज्य सरकार, वन अधिकारी को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया को मानीटर करने और ऐसी विवरणियाँ और रिपोर्टों को, जो उस अधिकरण द्वारा मांगी जाएं, नोडल अधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मानीटरी समिति का गठन करेगी।

(8) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजातीय मामले विभाग के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के तीन सदस्य होंगे, जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से दो सदस्य अनुसूचित जनजातीयों के होंगे और कम से कम एक महिला होगी, जैसा विहित किया जाए।

(9) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियाँ

7. जहां कोई प्राधिकरण या समिति या ऐसे प्राधिकरण या समिति का कोई अधिकारी या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन वन अधिकारी की मान्यता से संबंधित बनाए गए किसी नियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह या वे इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कायाकाही किए जाने और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सके, दंडित किए जाने के भागी होंगे:

इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों और समितियों के सदस्यों या अधिकारियों द्वारा अपराध।

परंतु इस उपधारा की कोई भी बात इस धारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण या समिति के किसी सदस्य या विभागाध्यक्ष या किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह समिति कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

8. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि कोई वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति, किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या किसी उच्च प्राधिकारी के विरुद्ध किसी संकल्प के माध्यम

अपराधों का संज्ञान।

से ग्राम सभा, राज्य स्तर की मानीटीरी समिति को साठ दिन से अन्यून की सूचना नहीं दे देती है और राज्य स्तर की मानीटीरी समिति ने ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न कर ली है।

अध्याय 6

प्रक्रीर्ण

प्राधिकरण, आदि के सदस्यों का लोक सेवक होना। 9. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्राधिकरणों का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थात् अंतर्गत लोक 1860 का 45 सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए कोई भी वाद, अधियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही के लिए सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अधियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के लिए सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के लिए सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4 में व्याख्यानिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी हैं, के विरुद्ध नहीं होगी।

नोडल अधिकरण। 11. जनजाति मामलों से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकरण होगा।

केन्द्रीय सरकार की 12. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपने कर्तव्यों का निवेदन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, लिखित में दे।

अधिनियम का 13. इस अधिनियम और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 में अन्यथा 1996 का 40 किसी अन्य विधि उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, के अल्पीकरणमें न कि उनके अल्पीकरण में। होना।

नियम बनाने की 14. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वयन करने के लिए अधिसूचना द्वारा शक्ति। और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियम, बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगमी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निमलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया संबंधी व्यौरै;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दावों को प्राप्त करने, उन्हें समेकित करने और उनका सत्यापन करने तथा वन अधिकारों के प्रयोग के लिए सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे का क्षेत्र अंकित करते हुए मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया और उस धारा की उपधारा (2) के अधीन उपखंड समिति को याचिका देने की सीति;

(ग) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटीरी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजाति मामले विभाग के अधिकारियों का स्तर;

(घ) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटीरी समिति की संरचना और उसके कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(३) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक संदर्भ के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दोस्रे दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र को या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा; तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।